Amendment of Patent laws

@2343A. SHRIMATI PREMILA BAI DAJISAHEB CHAVAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

- (a) whether Government are aware that the existing Patent laws do not provide deterrent punishments to the offenders who are cheating the consumers on a large scale through sale of spurious goods; and
- (b) if so, whether Government are considering any prposal to amend, the existing laws on the subject for making the sale of such spurious goods a cognizable offence?

THE MINISTER OF INDUSTRY AND STEEL AND MINES (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): (a) and (b) The Patent laws deal with grant of Patents for inventions and are not concerned with the sale of spurious goods.

रतीबी टिकटों का पकड़ा जाता

- @@2343ब. श्रो कलराज मिश्रः क्या गृह मंत्रो यह बताने की क्रुया करेंगे कि :
- (क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई
 पुलिस के ग्रासूचना विभाग द्वारा दक्षिणो
 बम्बई स्थित मोदी रोड के एक छापेखान
 से सोमालिया और सउदी ग्रस्वको सरकारों
 के एक करोड रुपये मूल्य से ग्रधिक के
 जाली रसोदी टिकट पकड़े जाने के संबंध
 में 22 सितम्बर, 1982 के दैनिक जागरण
 में प्रकाणित समाचार की ग्रीर दिलाया
 गया है; और
- (ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्योराक्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पी० बैकडसुब्बया (क) ग्रीर(ख) बम्बई की खफिस

(^Previously Unstarred question 1976 transfered from the 2nd November, 1982.

@ ^Previously Unstarred question j902 transferred from the 2nd November 1982

पुलिस द्वारा मोदी सडक के एक छापेखाने पर मारे गए छापे के दौरान छापखाने से सोमालिया और सउदी अरब सरकार को एक करोड रुपये से अधिक मूल्य की जाली राजस्व टिकटों के पकड जाने के विषय में 22 सितम्बर, 1982 के दैनिक "जागरण" में पुष्क समाचार प्रकाशित हुआ था।

2. महाराष्ट्र सरकार हारा प्रस्तुत सूचना के ग्रनसार सोमाली लोक-तातिक गणराज्य दूतावास, नई दिल्ली के दितीय सचिव श्री ग्रहदुल्लाही ग्रदन रोबल ने 17-9-82 को बम्बई पुलिस से संपर्क स्थापित किया ग्रीर शिकायत की थी कि लगभग डैंड वर्ष से एक जाली भ्रन्तराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस परिचालन में हैं, जिन्हें उनकी सरकार द्वारा जारी किया गया बताया जाता है। उनकी जांच से यह मालूम हुआ है कि इस उद्देश्य के लिये अपेक्षित जाली कागजात बम्बई में छापे जाते थे । उनकी जिकायत दर्ज की गई श्रीर वस्बई पुलिस द्वारा भारतीय दंडसंहिता की धारा 465,467-468, 471, 474 के तहत एक मामला दर्ज किया गया। मामलेको दर्जकरनेके बाद 17-9-82 को पुलिस ने मसर्ज रणजीत प्रिन्टर्स के कार्यालय की तलाशी ली। पुलिस द्वारा सोमाली लोकतांत्रिक गणराज्य के कई रिक्त पान्पत्र, रिक्त अन्तराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस, रिक्त रिहायणी परिमट, राजस्त्र टिकटें ग्रीर संबंधित छापाखानीं के ब्लाकों के साथ कई रिक्त फार्म, अअवासन अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सोमाली लोकतांत्रिक गणतंत्र किंगडम अ।फ साउदी अरब, इराक, गगतव द्वारा प्रयुक्त सीलें ग्रीर टिकटें बरामद की गई। छापेखाने को चलाने वाला ग्रमरजीत सिंह सुपुत्र नारायण सिंह कोहर्ला, नामक ब्यक्ति कार्यालय में उपस्थित था । उसे